



## भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड Railway Board



#### Office Order No. 05 of 2024

Sub: Transfer of Subject related to Ballast Less Track (BLT).

It has been decided to transfer the subject of Ballast Less Track from Track-I branch to Track-II branch of Track Directorate.

- 2. Accordingly, the subject list of Track-I branch and Track-II branch have been revised as per Annexure-I and Annexure-II.
- 3. The above issues with the approval of the competent authority.

No. 2023/O&M/7/25 Dated: 29.01.2024 (T. Srinivas)

Joint secretary/Railway Board

Tele No. 011-23387362 Email: <u>t.srinivas1@gov.in</u>

All Officers and Braches in Board's office, Office at COMFOW Building and at Daya Basti, New Delhi.

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J).

## TRACK - I

## A) Track Procurement & Policy

- Development/improvement of track material: Floating of tenders and placement of contracts and distribution of new/improved Switches, Switch Expansion Joints and Crossings viz., Thick Web Switches, Switch Expansion Joints, Wieldable CMS Crossings, etc., and monitoring of contracts thereof.
- Planning, procurement, import and export of rails including endforged, corrosion free and head hardened rails, allotment of rails, issuing of bulk indents of rails and work relating to production schedule meeting.
  Allotment of track materials to private and assisted sidings.
- Matters related to Insulated Glued Joints.
- Monitoring receipt and utilization of new and second hand track materials for the Railways.
- Flash Butt Welding Plants on Zonal Railways and matters related to Mobile Flash Butt Welding.
- 6. Matters related to AT welding.
- 7. Rail wields failures and USFD testing.
- 8. Permission for sale of second hand P.Way materials to Private parties.
- 9. Matters related to prevention of Corrosion of rails.
- 10. Matters related to Fish Plates.
- 11. Allotment of wagons for fabrication of End Unloading Rakes (EURs).

\*\*\*\*

### Track-II

- 1. Development, procurement, allotment & policy issues related to:
  - (a) PSC BG line sleepers
  - (b) Special Cement for concrete sleepers.
  - (c) Setting up of New Concrete Sleeper Plants on Zonal Railways.
  - (d) Shifting of Concrete Sleeper Plants from one Zonal Railway to other Zonal Railway.
- 2. Development, trial and all policy matters related to P.Way items viz.
  - (a) Modern Elastic Fastening systems
  - (b) Elastic Rail Clips
  - (c) Grooved Rubber Pads
  - (d) Metal Liners.
  - (e) GFN liners.
  - (f) SGCI Inserts.
  - (g) HTS wire for PSC Sleepers.
  - (h) BG/MG turnout Sleepers.
  - (i) Composite Sleepers.
  - (j) Alternative to wooden sleepers.
  - (k) Zero Toe Load Fastening for Steel Channel and H-Beam Sleepers.
  - (I) Anti-Vandal Elastic Fastening Systems.
- Allotment and Policy matters related to use of wooden sleepers on Indian Railways.
- 4. Any other subject allotted by Member Engineering.
- All the technical issues and related policy concerned with Ballastless track. Technical input may be obtained from CE-IV branch as per requirement. (Subject added vide Office Order No. of 2024)

\*\*\*\*

he

# भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

#### 2024 का कार्यालय आदेश सं. 05

विषय: गिट्टी रहित रेलपथ (बीएलटी) से संबंधित विषय का स्थानांतरण।

गिट्टी रहित रेलपथ विषय को रेलपथ निदेशालय के रेलपथ-। शाखा से रेलपथ-॥ शाखा में स्थानांतरित करने का विनिश्चय किया गया है।

- 2. तदनुसार, रेलपथ-। शाखा और रेलपथ-॥ शाखा की विषय-सूची को अनुलग्नक-। और अनुलग्नक-॥ के अनुसार संशोधित किया गया है।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2023/ओएंडएम/7/25

दिनांक: 29.01.2024

हिं। श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड टेली नं. 011-23387362

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली में स्थित कार्यालय के सभी अधिकारी और शाखाएँ।

#### प्रतिलिपि प्रेषितः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)

#### रेलपथ-।

## क) रेलपथ प्रापण एवं नीति

- 1. रेलपथ सामग्री का विकास/सुधार: निविदाएँ आमंत्रित करना और ठेके प्रदान करना और नए/उन्न्त स्विच, स्विच एक्सपेनशन ज्वाइंट एवं क्रॉसिंग अर्थात थिक वेब स्विच, स्विच एक्सपेनशन ज्वाइंट, झलाई योग्य सीएमएस क्रॉसिंग आदि का वितरण तथा तत्संबधी इसके पश्चात ठेकों की निगरानी।
- 2. योजना तैयार करना, प्रापण, एंडफॉर्ज्ड, संक्षारण मुफ़्त और हेड हार्डेंड पटिरयों सिहत पटिरयों का आयात और निर्यात, पटिरयों का आवंटन, पटिरयों के थोक मांग-पत्र जारी करना और उत्पादन कार्यक्रम बैठक से संबंधित कार्य। निजी और अस्सिटेड साईडिंग को रेलपथ सामग्रियों का आवंटन।
- 3. इंसुलटेड ग्लुड जाइंट से संबंधित मामले।
- 4. रेलों के लिए नई और प्रानी रेलपथ समग्रियों की प्राप्ति और उपयोग की निगरानी।
- 5. क्षेत्रीय रेलों में फ्लैश बट्ट वेल्डिंग संयंत्र और मोबाइल फ्लैश बट्ट वेल्डिंग से संबंधित मामले।
- 6. एटी वेल्डिंग से संबंधित मामले।
- 7. रेल वेल्ड विफलता और यूएसएफडी जांच।
- 8. निजी पार्टियों को पुरानी रेलपथ सामग्रियों की बिक्री के लिए अनुमित।
- 9. पटरियों को संक्षारण से बचाने से संबंधित मामले।
- 10.फिश प्लेट से संबंधित मामले।
- 11.एंड अनलोडिंग रेक (ईयूआर) के निर्माण के लिए मालडिब्बों का आवंटन।

#### रेलपथ-॥

- 1. विकास, प्रापण, आवंटन और निम्न से संबंधित नीतिगत मुद्दें:
- (क) पीएससी बड़ी लाइन स्लीपर।
- (ख) कंक्रीट स्लीपरों के लिए विशेष सीमेंट।
- (ग) क्षेत्रीय रेलों पर नए कंक्रीट स्लीपर संयंत्रों की स्थापना।
- (घ) कंक्रीट स्लीपर संयंत्रों को एक क्षेत्रीय रेल से अन्य क्षेत्रीय रेल में स्थानांतरित करना।
- 2. विकास, परीक्षण एवं रेलपथ मदों से संबंधित सभी मुद्दें:
- (क) आधुनिक इलास्टिक फास्टनिंग सिस्टम।
- (ख) इलास्टिक रेल क्लिप्स।
- (ग) ग्रूटड रबर पैड।
- (घ) मेटल लाइनर।
- (ड.) जीएफएन लाइनर।
- (च) एसजीसीआई इन्सर्ट।
- (छ) पीएससी स्लीपरों के लिए एचटीएस वायर।
- (ज) बड़ी लाइन/मीटर लाइन टर्नआउट स्लीपर।
- (झ) कंपोजिट स्लीपर।
- (ञ) लकड़ी के स्लीपरों का विकल्प।
- (ट) स्टील चेनल एवं एच-बीम स्लीपीरों के लिए ज़ीरो टो लोड फास्टनिंग।
- (ठ) एंटी-वेंडल इलास्टिक फास्टनिंग सिस्टम।
- 3. भारतीय रेल पर लकड़ी के स्लीपरों का आवंटन और उपयोग से संबंधित नीतिगत मामलें।
- सदस्य इंजीनियरी द्वारा आवंटित कोई अन्य विषय।
- 5. गिट्टी रहित रेलपथ से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दें एवं नीति। आवश्यकता अनुसार, तकनीकी इनपुट सीई-IV शाखा से प्राप्त किया जाए। (2024 के कार्यालय आदेश के अंतर्गत जोड़ा गया विषय।)